न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगाराम , आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 11 / 2023

प्रार्थी

01. धीसाराम .पुत्र पुनाराम जाति सिरवी निवासी धीनावास तहसील सोजत जिला पाली राज0
2. प्रतापराम पुत्र पुनाराम जाति सिरवी निवासी धीनावास तहसील सोजत जिलापाली
3. अशोक पुत्र मांगीलाल माता पानीदेवी जाति सिरवी निवासी धीनावास तहसील सोजत जिलां पाली राज0

बनाम

अप्रार्थीगण

01. हरिसिंह पुत्र पहाडसिंह जाति पुरोहित
02. डुंगरसिंह पुत्र पहाडसिंह जाति पुरोहित निवासी नवचौकिया पुरोहितों का बास, सोजत सिटी
03. भीकाराम पुत्र भोलाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0
04. मुकेश पुत्र सुजाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी तहसील सोजत
05. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110,,111 एवं 128 भू0 राजस्व अधिनियम भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

01. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री धर्मीचन्द देवासी अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

—: **निर्णय** :— दिनांक : 5/11/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111, राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा धीनावास पटवार हल्का धिनावास में प्रार्थी एवं अप्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 2196 रकबा 1.3400 हैक्टर व खसरा नम्बर 2198 रकबा 0.9900 हैक्टर आई हुई स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि के पास स्थित अप्रार्थीगण के द्वारा माठो को परिवर्तित करते रहते है। जिसे मौके पर माठो का सही सिमांकन नही हो रहा है। प्रार्थी ने पूर्व में अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पैमाईस करवाई उस समय अप्रार्थीगण ने उक्त पैमाईस करवाने से इन्कार कर दिया तथा प्रार्थीगण की कृषि भूमि का ही सीमांकन करने पर प्रार्थीगण की कृषि भूमि का ही सीमांकन करने पर प्रार्थीगण की कृषि भूमि मोके पर कम पाई गई, लेकिन माठो का सही निर्धारण नही हो सका, ऐसी स्थिति में पत्थर गढ्ढी के जरिये सीमांकन करवाना आवश्यक है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा सरहद मौजा सोजत धीनावास के खसरा नम्बर 2196 रकबा 1.3400 एवं खसरा नम्बर 2198 रकबा 0. 9900 , खसरा नम्बर 2199 रकबा 0.4335 तथा खसरा नम्बर 2197 रकबा 1.0100 हैक्टर की कृषि भूमि का सीमांकन पत्थरगढी के जरिये किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। बावजूद तामिली सूचना बार—बार आवाजे

दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी सं0 01 से 02 के विरूद्धएकपक्षीय कार्यवाही जाती है। अप्रार्थी संख्या 03 से 05 द्वारा जवाब दावा पेश नही करने से जवाब का अवसर समाप्त कर जबाब प्रार्थना पत्र दिनांक 24.09.2024 को वन्द किया जाता है।

बहस प्रार्थना पत्र वकुलाय' सुनी गई। वहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्व प्रार्थना पत्र सरहद मौजा धीनावास के खसरा नम्बर 2196 रकबा 1.3400 एवं खसरा नम्वर 2198 रकबा 0.9900 , खसरा नम्बर 2199 रकबा 0.4335 तथा खसरा नम्वर 2197 रकबा 1.0100 हैक्टर की कृषि भूमि की माठ को लेकर विवाद होने से उक्त भूमि का सिमांकन कर पत्थर गढी किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने व्यक्त किया कि प्रार्थित भूमि की माठो लेकर कोई विवाद नही है। प्रार्थना पत्र में सरहद मौजा सोजत की भूमि में विवाद होना बताया है जबकि सोजत में अप्रार्थी की उक्त खसरा जात की कोई भूमि नही है तथा अप्रार्थी संख्या 03 तहसीलदार सोजत को दर्शाते हुए प्रार्थना पत्र में अनुतोष चाहा गया है जबकि शिर्षक अप्रार्थी संख्या 03 भीकाराम है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्पष्ट है जिससे प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पैरा संख्या 01 में मौजा धीनावास की भूमि का सीमांकन चाहा गया है किन्तु ईश्तदुआ में भूमि सोजत चक प्रथम की बताकर सिमांकन व पत्थर गढी का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्पष्ट व पोषणीय नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित समझते है।

–: आदेशः–

....अतः अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नही होने तथा अस्पष्ट होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हों

(मासिंगाराम)
उपखण्ड अधिकारी सोजत
सोजत, जिला-पाली

निर्णय आज दिनांक 04/11/2024 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगाराम)
उपखण्ड अधिकारी सोजत
सोजत, जिला-पाली